प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–17.07.2023 (सं0–345)

कमजोर वर्ग (मानव व्यापार निरोध विषयक एवं बाल श्रम) से सम्बन्धित मामले तथा कृत कार्रवाई

राज्य में मानव व्यापार निरोध विषयक एवं बाल श्रम_जैसे गम्भीर विषय पर दृढ़ता तथा संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा निरन्तर इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। सफल मुक्ति अभियान के अधीन छापामारी, बरामदगी तथा प्राथमिकी अंकित कर अग्रतर कार्रवाई की गई है। मानव तस्करी रोकने हेतु '' जिला स्तरीय मानव व्यापार निरोध इकाई '' को निदेश दिये गये हैं।

- **वर्ष 2020, 2021 तथा 2022 में मानव व्यापार निरोध विषयक एवं बाल श्रम से सम्बन्धित कृत कार्रवाई का ब्योरा निम्नवत है :–**

माह	पुलिस के द्वारा अंकित प्राथमिकी	मुक्त कराई गई महिलाएँ	मुक्त कराये गये पुरुष	गिरफ्तार मानव तस्कर
वर्ष 2020	75	102	79	247
वर्ष 2021	111	149	235	331
वर्ष 2022	260	252 वृद्धि	499 वृद्धि ⬆	560 वृद्धि ⬆
वर्ष 2023 (मई तक)	74	66	165	94

- **वर्ष 2018 से 2023 मई तक मानव व्यापार निरोध विषयक एवं बाल श्रम से सम्बन्धित कृत कार्रवाई का ब्योरा निम्नवत है :–**

पुलिस के द्वारा अंकित प्राथमिकी	मुक्त कराई गई महिलाएँ	मुक्त कराये गये पुरुष	गिरफ्तार मानव तस्कर
753	714	1780	1794

- अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग), बिहार, पटना द्वारा समय समय पर मानव व्यापार निरोध विषयक प्रशिक्षण/बेविनार कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।
- दिनांक 24.04.2023 से दिनांक 26.05.2023 तक जिला स्तरीय मानव व्यापार निरोध इकाई (AHTU) के पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु कैलाश सत्यार्थी, चिल्ड्रेन फाउण्डेशन (KSCF) एवं कमजोर वर्ग द्वारा अलग अलग जिला मुख्यालयों में 15 दिनों का क्षमता वर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मानव व्यापार से सम्बन्धित कानूनों के विषय में, मुक्त कराये गये बच्चों के साथ व्यवहार/कर्तव्य में सम्वेदनशीलता विकशित करने, बाल तस्करी तथा यौन शोषण के पीड़ितों के साथ कर्तव्य निर्वहण के क्रम में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय विकशित करने के सम्बन्ध में ज्ञानवर्धन/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।
- दिनांक 21.06.2023 को राज्य में विशेष अभियान चलाकर Children in Street Situation के अन्तर्गत चिन्हित हॉट स्पॉट से 88 बच्चें मुक्त कराये गये।